न्यायायल : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0
पीठासीन अधिकारी : महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र सं0 25/2021
निर्णय दिनांक : 1-9-25
उनवानः

1. अमिलाल उम्र 75 वर्ष पुत्र श्री मुन्शी जाति अहीर
2. कोयल पुत्री मुन्शी जाति अहीर
3. गिन्दोडी पुत्री मुन्शी जाति अहीर
4. बर्फी पुत्री मुन्शी जाति अहीर सभी निवासी ग्राम डूंमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। ....प्रार्थीगण

बनाम

1. अशोक पुत्र लालसिंह उर्फ रामौतार जाति अहीर
2. प्रदीप पुत्र लालसिंह उर्फ रामौतार जाति अहीर
3. बाबूलाल पुत्र बनवारी जाति अहीर
4. मुकेश पुत्र विक्रमसिंह जाति अहीर
5. मंजू पुत्री विक्रमसिंह जाति अहीर
6. रामचन्द्र पुत्र सुलतान जाति अहीर
7. रामनिवास पुत्र सुलतान जाति अहीर
8. संजय पुत्र विक्रमसिंह जाति अहीर
9. नित्यानन्द पुत्र मोहर जाति अहीर सभी निवासी ग्राम डूंमरौली तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
10. तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

.....असल अप्रार्थीगण

11. खजानसिंह पुत्र मुन्शी जाति अहीर निवासी ग्राम डूंमरोली तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.....तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज0
अभिधृति अधिनियम 1955

।। निर्णय ।।

पत्रावली सुनवाई हेतु पेश हुई प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राज0 अभिधृति अधि0 के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हम प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी की खातेदारी का खसरा नम्बर हाल 283/1835 रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम डूमरोली तह0 नीमराना मे स्थित है तथा मिन वादी के खसरा नम्बर के तरफ उत्तर मे अप्रार्थी सं. 1 लगा. 8 की खातेदारी का खसरा नम्बर 284 रकबा 0.43 है0 व तरफ पूर्व मे अप्रार्थी सं0 9 की खातेदारी का खसरा नम्बर 377 रकबा 1.32 है0 स्थित है तथा अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 284 एवं 377 के तरफ उत्तर मे लगता हुआ डामर रोड स्थित है जो ग्राम डूमरौली से कुंजपुरा हरि0 मे जाता है । ग्राम डूमरौली से कुंजपुरा जाने वाली सडक से अप्रार्थी सं0 1 लगा0 8 के खसरा नम्बर 284 के तरफ पूर्वी डोल व अप्रार्थी सं0 9 के खसरा नम्बर 377 के पश्चिमी डोल के सहारे–सहारे करीब 4 मीटर चौडा रास्ता हम प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 283/1835 मे कृषि हेतु आने जाने के लिए कदीम से रहा है। अप्रार्थी सं0 6 द्वारा खसरा नम्बर 284 मे अपने

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

खातेदारी हिस्से मे हम प्रार्थीगण के खेत के रास्ता को छोडकर करीब 20 वर्ष पूर्व अपने मकानात बना लिये थे।जो मौके पर मौजूदहै। उसके बाद हम प्रार्थीगण के खेत का रास्ता मौके पर चालू रहा जिस रास्ता से हम प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 283/1835 मे कृषि हेतु आते जाते रहे है । बाह जोत के लिए ट्रक्टर, व पशु का हल लाते ले जाते रहे है तथा अपने खेत की फसल ट्रोली मे डालकर इसी रास्ता से लाते ले जाते रहे है। आज तक हम प्रार्थीगण को उक्त अप्रार्थीगण द्वारा आने जाने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही की गई है। अब अप्रार्थीगण आपस मे साज बाज होकर, हम प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 283/1835 के रास्ता को दिनांक 10.04.2021 को जोत लगाकर अवरूध कर दिया गया, तो हम प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से मिले एवं उनको कहा कि यहां से हमारे खेत का कदीम से रास्ता रहा है इसी रास्ता से हम अपने खेत मे कृषि हेतु पैदल व साधन से आते जाते रहे है। इस रास्ता के अलावा हम प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी के खेत मे आने जाने का अन्य कोई रास्ता भी नही है सबसे छोटा रास्ता यही है। इसलिए आप यहां से हमे रास्ता देदो एवं रास्ता की ऐवज मे डीएलसी के हिसाब से पैसे लेलो या रास्ता की जमीन के बदले जमीन लेलो तो अप्रार्थीगण लोगो के सामने उस समय तो हॉ भरली थी लेकिन आज तक उक्त रास्ता को रिकार्ड मे कायम नही करवाया गया है और अब दिनांक 28.08.2021 को हम प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से मिलकर रास्ता को रिकार्ड मे कायम करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण द्वारा हम प्रार्थीगण के खेत मे कृषि हेतु आने जाने के लिए रास्ता रिकार्ड मे कायम करने से साफ इंकार कर दिया एवं रास्ता को बिलकुल बन्द करने की धमकी दी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 283/1835 मे कृषि हेतु आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 284 व 377 मे से 4 मीटर चौडा रास्ता की भूमि की पैमाईश रिपोर्ट मंगवाई जाकर रास्ता की भूमि की नियमानुसार राशि, अप्रार्थीगण को दिलवाई जाकर, रिकार्ड मे रास्ता कायम किया जाने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये अप्रार्थी सं0 1 लगा. 5 बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई तथा अप्रार्थी सं0 6 व 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित होकर, प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्यो को गलत बताते हुऐ जबाब पेश किया गया कि जहां से प्रार्थीगण अपने खेत मे कृषि हेतु आने जाने का रास्ता बता रहे है वह बिलकुल गलत है। मौके पर ना तो रास्ता है ना ही वहा से आवागन है। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र कतई गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई। वही तरतीवी अप्रार्थी खजान सिंह बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की पुष्ठि करते हुऐ जबाब पेश किया गया है।

तत्पश्चात हमारे द्वारा मौका की वास्तविक स्थिती एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता की भूमि का क्षेत्रफल की रिपोर्ट तहसीलदार नीमराना से मंगवाई गई। पत्रावली मे तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 14.06.2022 पेश की गई। जिसका वकील अप्रार्थीगण ने आपत्ति कि जहां से प्रस्तावित रास्ता दर्शित किया गया है वहा पर अप्रार्थीगण ने पुख्ता मकानात बना रखे है। इसलिए वहा से रास्ता कायम किया जाना सम्भव नही है। इस पर हमने न्याय हित मे पुनः मौका की वास्तविक स्थिती अनुसार निष्पक्ष मौका रिपोर्ट तहसीलदार नीमराना से मंगवाई गई। तहसीलदार नीमराना द्वारा दिनांक 20.08.2025 को मय नक्शा मौका एवं रास्ता के क्षेत्रफल की रिपोर्ट पेश की गई।। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुऐ। प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 283/1835 वाके ग्राम डूंमरोली तह0 नीमराना मे तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के मुताबिक अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 284 की पश्चिमी डोल के सहारे–सहारे 4 मीटर चौड़ा रास्ता घोषित किया जावे । रास्ता की भूमि की नियमानुसार राशि बने वो प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को अदा करने या न्यायालय श्रीमान् के आदेश से राजकोष मे जमा करवाने के लिए तैयार है।

वकील अप्रार्थी सं0 6 व 7 ने अपनी बहस मे, अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो के मुताबिक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत बताते हुऐ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार, नीमराना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नम्बर 284 की पूर्वी डोल पर, खातेदारान द्वारा पक्के मकानात, पशुओ का बाडा एवं बोरिंग बनाई हुई है इसलिए वहां से रास्ता दिया जाना उचित नही होने के कारण, खसरा नम्बर 284 की पश्चिमी डोल के सहारे–सहारे प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 283/1835 के लिए रास्ता दिया जाना उचित बताते हुऐ रिपोर्ट पेश की गई है। हमने मय नक्शा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो एवं तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण न्याय हित मे स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

::– आदेश –::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राज. अभिधृति अधि. 1955 तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के मुताबिक साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 284 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम डूंमरोली तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड मे से 72 X 4= 288 वर्गमीटर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार नीमराना को आदेश दिया जाता है कि उक्त रास्ता की भूमि की वर्तमान डीएलसी राशि की नियमानुसार दुगनी राशि, प्रार्थीगण द्वारा राजकोष मे जमा करवाने के उपरान्त उक्त रास्ता की भूमि 288 वर्गमीटर का अलग से बटा नम्बर कायम कर उसे प्रार्थीगण के नाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मय नक्शा मौका रिपोर्ट दिनांक 20.08.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 284 वाके ग्राम डूंमरोली तह0 नीमराना मे से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 283/1835 वाके ग्राम डूंमरोली तह0 नीमराना तक कृषि हेतु आने जाने के लिए 4 मीटर चौडा रास्ता का तितम्मा काटा जाकर राजस्व नक्शा मे तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मय नक्शा रिपोर्ट दिनांक 20.08.2025 इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 1.9.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर ए एस)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी,
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)